खंड 1, सख्या 146

राष्ट्र महिला

सितम्बर 2011 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

एक प्रखर आलोचना में, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हाल ही में जारी की गयी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में उग्रवादियों तथा नक्सलियों के हमलों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या से भी अधिक महिलाएं घरेलू हिंसा में मारी जाती हैं ।

इस रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू हिंसा में 8383 व्यक्ति मृत्यु के शिकार हुए जब कि उग्रवादियों तथा चरम वामपंथियों के हमलों में 2231 लोगों की मृत्यु हुई।

'भारत सशस्त्र प्राक्कलन, 2011' में कहा गया है कि 2005 से घरेलू हिंसा में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है, यद्यपि दर्ज किए गये मामले उसी अनुपात में नहीं बढ़े हैं । "जब कि 2005 में पुलिस में 50 लाख मामले दर्ज कराए गये, 2009 में दर्ज कराई गयी शिकायतों की संख्या 60.6 लाख से अधिक थी।"

पुलिस को 2009 में कथित घरेलू हिंसा के 90,000 अन्य मामले भी प्राप्त हुए थे जो – वर्ग, धर्म, जाति या संस्कृति के अनपेक्ष – किसी न किसी प्रकार महिलाओं के जीवन को करते थें, उनके जीवन के लिए खतरा भी थे। हर दिन महिलाओं के साथ मार–पीट की जाती है, उन्हें यौन उत्पीड़ित किया जाता है, लताड़ा जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है और घर, कार्यस्थल तथा समाज में उन्हें मानसिक यातना दी जाती है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण घरेलू हिंसा (निषेध) अधिनियम के होते हुए भी ऐसा होता है।

तथ्य यह है कि पिता, पति, सास–ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किये गये घरेलू दुर्व्यवहार

चर्चा में

घरेलू हिंसा में मारे गये लोगों की संख्या उग्रवादी हमलों में मारे गये लोगों से अधिक है

को आमतौर पर सामाजिक प्रथाएं क्षमा कर देती हैं तथा इसे वैवाहिक जीवन का एक अंग माना जाता है न कि एक अपराध, और यही कारण है कि इस अपराध की दर इतनी अधिक है।

इन जाहिर तथ्यों के बावजूद, घरों में महिलाओं पर होने वाली हिंसा अधिकतर प्रकाश में नहीं आती और इस डर से कि इसे मान लेने पर परिवार की बदनामी होगी समाज इसमें इनकार ही करता रहता हैं।

इतनी महिलाएं घर पर होने वाला यह दुर्व्यवहार क्यों सहती हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि समाज में इन्हें समानता का स्थान प्राप्त नहीं है तथा अन्य कोई विकल्प उन्हें उपलब्ध नहीं है । वे आर्थिक निर्भरता, अपने तथा बच्चों के जीवन को खतरा और लगातार गर्भधारण के चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं।

इसलिए, घरेलू हिंसा से संरक्षण देने वाले विभिन्न कानूनों से महिलाओं को अवगत कराना तथा उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना बहुत जरूरी है ताकि वे इस दुर्व्यवहार का मुकाबला कर सकें। पर्याप्त कानूनी सुरक्षा तथा घरेलू हिंसा से मुक्त सामाजिक प्रणाली की स्थापना के बिना महिलाएं अपने पतियों के समक्ष और सारे समाज के समक्ष बेबस रहेंगी।

आयोग की अध्यक्षा राष्ट्रपति से मिलीं

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा ने राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से भेंट की और उन्हें आयोग के क्रियाकलापों तथा महिलाओं के कष्टों के निवारण के लिए किए जा रहे उपायों से अवगत कराया ।

आयोग की अध्यक्षा राष्ट्रपति के साथ

अध्यक्षा का कोटा और जयपुर का दौरा

आयोग की अध्यक्षा कोटा और बूंदी गयीं और वहां के स्थानीय अधिकारियों के साथ महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की । बाद में वह जयपुर गयीं और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा राज्य महिला आयोग के अधिकारियों से महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं और उनके निदान पर विचार–विमर्श किया ।

पीड़ित महिलाओं को मुआवजा दिए जाने पर परामर्श

अपराध पीड़ित महिलाओं को मुआवजा दिए जाने के विषय पर 'मजलिस' द्वारा महिला आयोग के सहयोग में मुम्बई में एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया ।

मुख्य भाषण में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री ए०के० गांगुली ने कहा कि बलात्कार पीड़ित महिलाओं का पुनर्वास किया जाना आवश्यक है और दिसम्बर 2009 में प्रस्तावित कानून बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करेगा ।

विषय का परिचय देते हुए, 'मजलिस' की निदेशक सुश्री ल्फाविया ऐगनस ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार पीड़ितों को राहत तथा मुआवजा दिए जाने की एक योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी थी । सुश्री ऐगनेस का मत था कि मुआवजे का दावा पेश करने की जिम्मेवारी पीड़ित पर नहीं डाली जानी चाहिए। जब भी कोई पीड़ित पहली बार किसी पुलिस थाने अथवा सार्वजनिक अस्पताल में जाये तो बलात्कार पीड़ित को कम से कम एक अंतरिम मुआवजा तो अवश्य दिया जाना चाहिए ।

उद्घाटन सत्र का सभापतित्व करते हुए, आयोग की सदस्या सुश्री चारु वलीखन्ना ने आयोग को सौंपे गये कृत्यों का हवाला देते हुए बताया कि अपराध पीड़ित महिलाओं की व्यथा निवारण के लिए आयोग ने क्या–क्या कदम उठाए हैं ।

परामर्श में (बायें से) सुश्री ल्फाविया ऐगनस, जस्टिस ए०के० गांगुली, सुश्री चारु वलीखन्ना

बाद में, परामर्श में विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं पर चर्चा की गयी और यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या वर्तमान योजना के दायरे को बढ़ा कर इसमें बलात्कार के अलावा अन्य अपराधों से पीड़ितों को भी शामिल किया जा सकता है ।

परामर्श में 80 से अधिक वकील, सामाजिक कार्यकर्त्ता, बुद्धिजीवी तथा गैर सरकारी संगठन शामिल हुए ।

सदस्यों के दौरे

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित घरेलू हिंसा पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सदस्या सुश्री चारु वलीखन्ना देहरादून गयी। भगवतपुर के अपने दौर पर उन्होंने अकेली रह रही महिलाओं की व्यथा सुनी जिन्होंने कहा कि घर पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, अविवाहित होने के कारण समाज उन पर लांछन लगाता है, परिवार की सम्पत्ति पर दावा करने के डर से भाई उन्हें शक की निगाह से देखते हैं।

देहरादून कार्यक्रम में सुश्री चारु वलीखन्ना (बीच में)

वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी मिलीं और विशेषकर हलद्वानी, ऊधम सिंह नगर आदि में बढ़ती हुई घरेलू हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की।

यह विषय उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने उठाया है और अपने अभ्यावेदन की एक प्रति राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजी हैं। राष्ट्रीय आयोग का मानना है कि यह एक नया तथा महत्वपूर्ण विषय है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के सहयोग में एक क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किया जाये जिसमें अकेली महिलाओं की आवश्यकताओं का आकलन किया जाये, जैसे मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य निःशुल्क देखभाल, काम का अधिकार, सम्पत्ति अधिकार और मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा प्लाट का आबंटन।

अध्यक्षा की प्रेस कांफ्रेंस

सुश्री ममता शर्मा ने, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा का कार्यभार संभाला है, प्रेस को दिए गये एक इंटरव्यू में बताया कि आयोग को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उनकी कार्य योजना तथा वरीयताएं क्या हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति और भी जागरूक बना कर उन्हें सशक्तीकृत करने पर आयोग प्रमुख रूप से ध्यान केन्द्रित करेगा। अधिक लोगों, विशेषकर महिलाओं, में जागरूकता प्रसार करने के प्रयोजन से आयोग ने राज्यों से कहा है कि विभिन्न महिला मुद्दों को स्थानीय भाषाओं में प्रसारित करें। इसके अतिरिक्त, आयोग राज्यों से महिलओं को लक्षित करने वाली विभिन्न योजनाओं को उचित प्रकार से कार्यान्वित करने को भी कह रहा है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मुख दिन–प्रति दिन के कार्य में आने वाली बाधाओं का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि कमियों को पूरा करने के लिए आयोग को अधिक शक्तियों तथा स्टाफ दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके अभाव में मामलों की सुनवाई, शिकायतों का निबटान और मंत्रणा कार्य प्रभावित हो रहे हैं । उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी लिखा है कि आयोग में सदस्यों के रिक्त स्थानों की शीघ्र पूर्ति की जाये।

एफ आई आर दर्ज न करने पर आयोग पुलिएकर्मियों के विरूद्ध न्यायालय में जायेगा

मई में किसान आन्दोलन के दौरान भट्टा–पारसौल, ग्रेटर नोयडा, गावों में जिन पुलिस कर्मियों ने महिलाओं के साथ कथित बलात्कार किया था उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग न्यायालय में जायेगा।

एफआईआर दर्ज न कराए जाने से चिंतित, आयोग ने 9 सितम्बर को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी, किन्तु अभी तक उसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि "हम इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और हमने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को इस बारे में लिखा है। यदि आरोपी पुलिसकर्मियों के विरूद्ध एफ आइ आर दर्ज नहीं की गयी, तो हम न्यायालय जायेंगें।"

आयोग ने पुलिस कर्मियों पर सात महिलाओं से बलात्कार का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ को दी थी। इस से पूर्व, सातों महिलाओं के शपथ–पत्र के आधार पर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने नोयडा के पुलिस अधीक्षक को आरोपी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। किन्तु उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने यह मामला सी आई डी को भेज दिया।

घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा का कार्यक्रम

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग में मेघालय के समाज कल्याण विभाग के सहयोग में पश्चिम गारो हिल्स जिले के तूरा में 'घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा पर चलो गांव की ओर कार्यक्रम' आयोजित किया।

इस अवसर पर मेघालय के मुख्य मंत्री डा० मुकुल सगमा ने अपने भाषण में कहा कि घरेलू हिंसा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें धर्म, जाति, वर्ग आदि का प्रश्न नहीं उठता और यह हिंसा महिलाओं के प्रति घर की चार दीवारी के अंदर होती है । उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को राहत मिल सके।

पीएचई मंत्री श्री शितलांग पाले ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि परिवार, समाज तथा समस्त राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री वानसुक सयीम ने एकत्रित भागीदारों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति हिंसा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आज के समय में भी उनको छोड़ दिए जाने, घर से निकाल दिए जाने, खराब स्वास्थ्य, निरक्षरता, पुरुष अत्याचार आदि का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों एवं संबंधित कानूनों से अवगत कराना बहुत आवश्यक है और साथ ही उन्हें प्रक्रियाएं भी बताई जानी चाहिए ताकि वे अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग कर सकें। उन्होंने इस बात पर दुख प्रकट किया कि अनेक राज्यों ने अभी तक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं या हिंसा विरोधी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं किया है।

सेमिनार में (बाये से) आयोग की सदस्या सुश्री वानसुक सयीम, मुख्य मंत्री डा० मिकुल सगमा और श्री शितलांग पाले

विचार–विमर्श के बाद ये सुझाव निकले : (क) अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है (ख) कानूनी सहायता, डाक्टरी सहायता और मंत्रणा में वृद्धि की जाये (ग) पूर्णकालीन संरक्षा अधिकारियों का प्रावधान किया जाये (घ) एफ आई आर दर्ज कराने की आवश्यकता का व्यापक प्रचार किया जाये (च) सभी महिला–पुरुष समूहों के बीच मुफ्त कानूनी सहायता तथा मजबूत नेट वर्किंग संबंधी सूचना अधिक मात्रा में मुहय्या कराई जाये।

- **हिंसा की शिकार पत्नी अलग होने के बाद भी सहायता की मांग कर सकती है : न्यायालय**

महिलाओं को घरेलू हिंसा के प्रति सशक्तिकृत करने वाला एक निर्णय देते हुए, दिल्ली के एक न्यायालय ने कहा है कि कोई महिला अपने पति तथा सास ससुर से अलग रहेते हुए भी घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों का दावा कर सकती है।

न्यायालय ने कहा कि जब तक कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ विवाहित हैं, पत्नी को घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त उसकी संरक्षा एवं अन्य अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने की कानूनी शर्त पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने कहा कि "यह आवश्यक नहीं है कि शिकायत दर्ज कराने के दिन दोनों पक्ष साथ–साथ रह रहे हों और यह पर्याप्त है कि विगत में वे पति–पत्नी के रूप में रहे थे।"

- **तलाकशुदा महिला अपने उप-नाम का प्रयोग कर सकती है ।**

मुम्बई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को अपनी कानूनी राय देते हुए मुम्बई के अतिरिक्त सालीसिटर जनरल ने कहा है कि "किसी पत्नी का विवाह–विच्छेद हो जाने पर भी उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के अंतर्गत यह मूल अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी नाम का, जिसमें विवाहित नाम भी शामिल है, प्रयोग कर सकती है।"

इस वर्ष कुछ समय पूर्व पासपोर्ट कार्यालय ने उस महिला को अपने पूर्ववर्ती विवाहित नाम के उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया था, यद्यपि उसके पूर्व पति को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी।

सालीसिटर जनरल ने कहा कि उस महिला द्वारा प्रस्तुत कारणों को देखते हुए, और चूंकि उसके पति को भी कोई आपत्ति नहीं हैं, पासपोर्ट आफिस पत्नी के वैवाहिक नाम पर पासपोर्ट जारी कर सकता है।

- **बलात्कार साबित करने के लिए डाक्टरी सबूत हर मामले में आवश्यक नहीं : उच्च न्यायालय**

एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए, बम्बई न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने कहा है कि बलात्कार का अपराध सिद्ध करने के लिए डाक्टरी साक्ष्य हमेशा आवश्यक नहीं है। जस्टिस यू०बी० बाकरे की एकल जज खंडपीठ ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि "महज इसलिए कि संभोग किए जाने का कोई डाक्टरी साक्ष्य नहीं है, यह मान लेना सही नहीं होगा कि आरोपी निर्दोष है। ऐसा इसलिए कि पीड़िता ने एक दृढ़, सच्चा और विश्वसनीय साक्ष्य दिया है।"

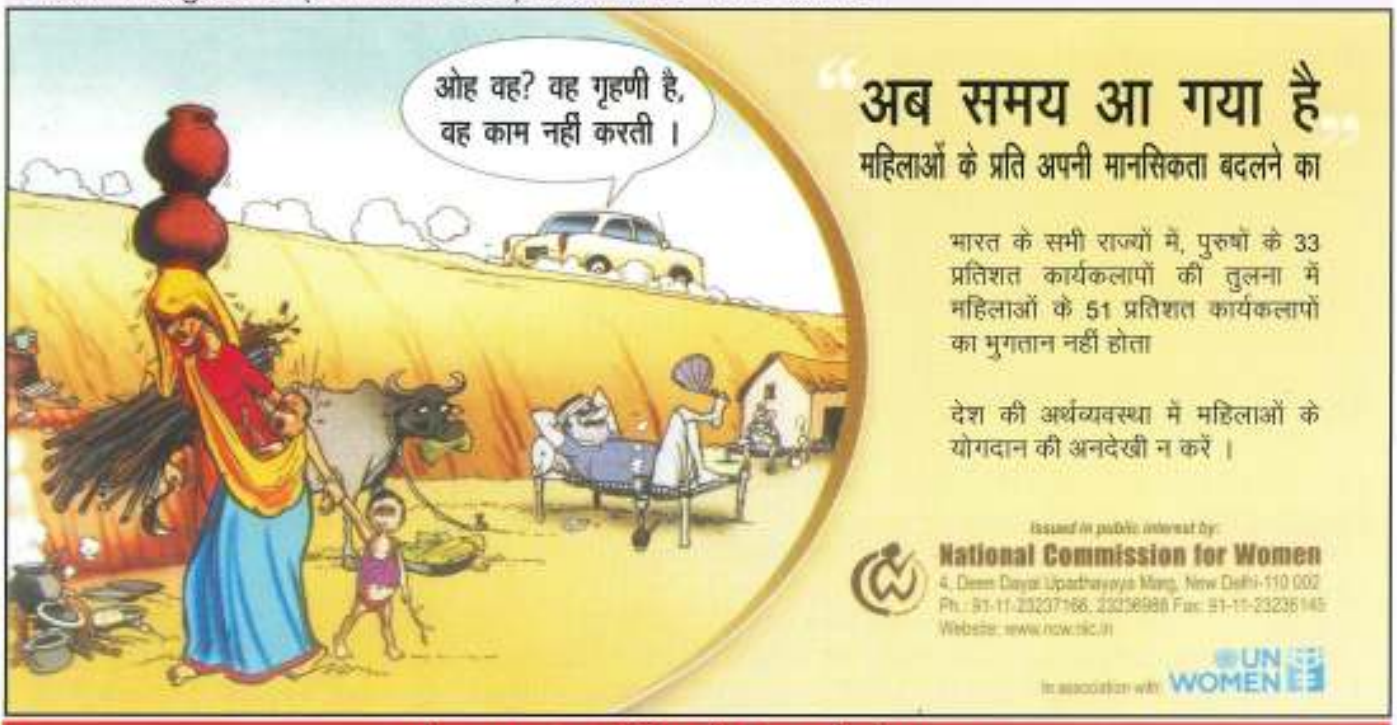

अग्रेतर सूचना के लिए देखें हमारी वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4–दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002 द्वारा प्रकाशित सम्पादक : गौरी सेन। प्रोलिफिक इनकॉरपोरेटेड, ए–507ए, शास्त्री नगर, दिल्ली–110052 द्वारा मुद्रित।